

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 579] No. 579] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 5, 2019/माघ 16, 1940

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 5, 2019/MAGHA 16, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2019

का.आ. 697(अ).— ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4616(अ), तारीख़ 7 सितंबर, 2018 को तत्काल प्रभाव से विखंडित करती है।

[फा.सं. एक्स.11035/53/2014-डीएफक्यूसी(भाग-II)]

डॉ. मनदीप के. भण्डारी, संयुक्त सचिव

814 GI/2019 (1)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2019

S.O. 697(E).— In exercise of the powers conferred by section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health and Family Welfare), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 4616 (E), dated the 7th September, 2018 with immediate effect.

[F.No. X.11035/53/2014-DFQC (Pt. II)]

Dr. MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secy.